क.

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। (2019 की सिविल अपील संख्या 7843) अक्टूबर 04,2019

[ए**.** एस**.** बोपन्ना और आर**.** भानुमती**,** जे**.** जे**.]**

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015:धारा 2 (1) (ग) (vii)-वाणिज्यिक विवाद-वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष किसी अचल संपत्ति से जुड़े समझौते से उत्पन्न होने वाले तथ्यों, विवाद पर-वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर वाद-मुकदमे में, अचल संपत्ति से संबंधित बंधक विलेख का पंजीकरण मांगा गया है-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अचल संपत्ति का उपयोग व्यापार या वाणिज्य के लिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःयह एस से स्पष्ट है।2(1)(ग) (vii) कि व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवाद वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा मुकदमा चलाने के लिए एक वाणिज्यिक विवाद होने के योग्य होंगे-तथ्यों पर, न तो पक्षों के बीच समझौता समझौते की तारीख को विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति की प्रकृति को संदर्भित करता है और न ही वाद में उस प्रभाव का कोई अनुरोध है-मुकदमे में मांगी गई राहत बंधक विलेख के निष्पादन के लिए है जो मुकदमे की तारीख को व्यापार या वाणिज्य में अचल संपत्ति के उपयोग की प्रकृति के संदर्भ के बिना समझौता ज्ञापन की शर्तों के विशिष्ट प्रदर्शन की प्रकृति में है-इस प्रकार, पक्षों के बीच लेनदेन जो मुकदमे का विषय है, नहीं हो सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

उद्देश्य और कारण-आयोजितःउच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का त्वरित निपटान प्रदान करना है-मुकदमे पर विचार करते समय और विवाद को एक वाणिज्यिक विवाद मानते हुए व्यापक उद्देश्य और अर्थ निर्धारित किया जाना है, अन्यथा अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

एच.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

प्रति ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.**

पकड़नाः**1.1** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम**, 2015** की धारा **2 (1) (**सी**) (vii)** के अवलोकन से यह देखा गया है कि व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवाद वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा चलाए जाने वाले वाणिज्यिक विवाद होने के योग्य होंगे।**[**पैरा **6] [614-**एफ**.** जी**.] 1.2** यद्यपि अधिकारिता का वर्णन करने वाले पैराग्राफ में वादी ने क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में कहा है क्योंकि कार्यालय और भूमि वडोदरा में है**,** लेकिन ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जो उस कारण का संकेत देता है जिसके लिए वादी यह दलील देता है कि

न्यायालय जो विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों का परीक्षण करने के लिए गठित वाणिज्यिक न्यायालय है, उसे तत्काल मुकदमे का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र है।उस पृष्ठभूमि में, वाद में की गई प्रार्थना का अवलोकन अनिवार्य रूप से इंगित करेगा कि मुकदमा समझौता ज्ञापन की शर्तों के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है, जिसके तहत यह सहमति है कि बंधक विलेख को निष्पादित किया जाए।भले ही बंधक विलेख के तहत अचल संपत्ति विषय वस्तु थी, यह दलील देना और इंगित करना आवश्यक था कि इसका उपयोग व्यापार या वाणिज्य में किया जा रहा था जिसके कारण वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता लागू की जाती है।वाद में इस तरह के बुनियादी अभिवचनों के बिना, बाद में दिए जाने वाले किसी भी स्पष्टीकरण से केवल ऐसी स्थिति पैदा होगी कि यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो प्रत्येक वाद में बाहरी सामग्री के आधार पर विचार की आवश्यकता होगी, यहां तक कि यह पता लगाने के लिए कि क्या पक्षों के बीच इच्छित लेनदेन ऐसी प्रकृति का था कि इसे एक वाणिज्यिक विवाद के रूप में माना जाना चाहिए।**[**अनुच्छेद **9] [616-**सी**.** एफ**.] 1.3** उन उद्देश्यों और कारणों का विवरण जिनके साथ वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम**, 2015** अधिनियमित किया गया है ताकि उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र निपटान किया जा सके ताकि स्वतंत्र और उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली के बारे में निवेशकों की दुनिया में सकारात्मक छवि बनाई जा सके।एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए।मुक़दमे पर विचार करते समय और विवाद को एक वाणिज्यिक विवाद मानते हुए एक व्यापक उद्देश्य और अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए।इसे ध्यान में रखते हुए, जिस उद्देश्य के लिए **2015** का सी**.** सी**.** अधिनियम अधिनियमित किया गया है, वह विफल हो जाएगा यदि प्रत्येक अन्य मुकदमा केवल इसलिए दायर किया जाता है क्योंकि यह वाणिज्यिक न्यायालय ए के समक्ष दायर किया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

607

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर।

मनोरंजन होता है।यही कारण है कि वे वाद जो वास्तव में वाणिज्यिक विवाद से संबंधित नहीं हैं, बल्कि केवल उच्च मूल्य के कारण और शीघ्र निपटान की मांग करने के इरादे से दायर किए जा रहे हैं, केवल प्रणाली को अवरुद्ध करेंगे और वास्तविक वाणिज्यिक विवादों का मार्ग अवरुद्ध करेंगे, जिन पर वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा विचार किया जा सकता है जैसा कि कानून निर्माताओं द्वारा इरादा किया गया है।वाणिज्यिक विवादों में, जैसा कि परिभाषित किया गया है, मुकदमेबाजी के एक वर्ग के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की जाती है और उस अधिकार क्षेत्र में केवल उस वर्ग के मुकदमेबाजी पर विचार करने के लिए एक सख्त प्रक्रिया का पालन करना होगा।यदि इसकी कड़ाई से व्याख्या की जाती है तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को बाहर रखा गया है वे बिना किसी उपचार के गैर**-**उपयुक्त होंगे।मुकदमेबाजी के बहिष्कृत वर्ग पर किसी भी स्थिति में सामान्य दीवानी न्यायालयों में विचार किया जाएगा जहां उपचार हमेशा मौजूद रहा है।**[**पैरा **13] [620-**बी**-**ई**]**

ग

1.4 केवल उन विवादों की सावधानीपूर्वक जांच और विचार करना भी आवश्यक है जो वास्तव में अधिनियम के तहत प्रदान की गई 'वाणिज्यिक विवादों' की परिभाषा का उत्तर देते हैं। तत्काल मामले में, न तो पक्षों के बीच समझौता अचल संपत्ति की प्रकृति को संदर्भित करता है जिसका उपयोग समझौते की तारीख को विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य के लिए किया जा रहा है और न ही शिकायत में उस प्रभाव के लिए कोई अभिवचन है।इसके अलावा मुकदमे में मांगी गई राहत बंधक विलेख के निष्पादन के लिए है जो मुकदमे की तारीख को व्यापार या वाणिज्य में अचल संपत्ति के उपयोग की प्रकृति के संदर्भ के बिना

समझौता ज्ञापन की शर्तों के विशिष्ट प्रदर्शन की प्रकृति में है।इसलिए, यदि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, तो वर्तमान तथ्यों में उच्च न्यायालय को विवादित आदेश के माध्यम से आए अपने निष्कर्ष में उचित ठहराया गया था।इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुति के लिए एक तारीख का संकेत देते हुए शिकायत को वापस कर देगा।**[**पैरा **14] [620-**एफ**-**एच**; 621-**ए**]**

डी.

ई.

च

वासु हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात आकृति टी. सी. जी.

बायोटेक लिमिटेड एआईआर 2017 गुजरात 153-स्वीकृत।

जी.

जगमोहन बहल बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर **(2017)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल **10706;** फेडरेशन ऑफ ए**.** पी**.** चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ओ**.** आर**.** एस**.** बनामए**.** पी**.** और अन्य का राज्य**,**

(2000) 6 एससीसी **550:[2000] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 151-**संदर्भित।

एच.

608 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

क.

निर्णीत विधि संदर्भ

(2017) एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल **10706** पैरा **10** ए**.** आई**.** आर**. 2017** गुजरात **153** अनुमोदित पैरा **12 [2000] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **12** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 151**

प्रति भानुमति**,** जे। **(**सहमत**):**

अवधारित **1.1** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा **2 (1) (**सी**) (vii)** के अंतर्गत आने के लिए**,** अचल संपत्ति का व्यापार या वाणिज्य में **"**विशेष रूप से उपयोग**"** या **"**विशेष रूप से उपयोग**"** किया जाना चाहिए।एक मामला निम्नलिखित कारकों पर वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में आएगा:यह अधिनियम की धारा **2 (1) (**सी**)** के अर्थ के भीतर एक वाणिज्यिक विवाद होगा और ऐसे वाणिज्यिक विवाद अधिनियम की धारा **2 (**आई**)** के अनुसार एक निर्दिष्ट मूल्य के होते हैं। **[**पैरा **1,11] [621-**सी**; 626-**डी**-**ई**]**

ग

डी.

1.2 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की अनुसूची सिविल प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करती है और इस तरह संहिता से महत्वपूर्ण विचलन करती है।संहिता के आदेश **XIII** के बाद**,** आदेश **XIIIA-"**सारांश निर्णय**"** जोड़ा गया है। आदेश **XIIIA** में मुकदमों का दायरा और वर्ग शामिल हैं जिन पर आदेश **XIIIA** लागू होता है**,** संक्षिप्त निर्णय के लिए आधार**,** पालन की जाने वाली प्रक्रिया**,** संक्षिप्त निर्णय की सुनवाई के लिए साक्ष्य**,** आदेश जो संक्षिप्त निर्णय के लिए ऐसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं**,** आदि। संहिता के आदेश **XV** के बाद**,** आदेश **XVA-"**केस मैनेजमेंट हियरिंग**"** जोड़ा गया है।आदेश एक्स**.** वी**.** ए**.** में पहले मामले की प्रबंधन सुनवाई **(**नियम **1);** दैनिक आधार पर मौखिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग **(**नियम **4);** मामले की प्रबंधन सुनवाई में न्यायालय की शक्तियां **(**नियम **6);** मामले की प्रबंधन सुनवाई का स्थगन **(**नियम **7);** आदेशों का पालन न करने के परिणाम **(**नियम **8)** का प्रावधान है।संशोधन के माध्यम से**,** वाणिज्यिक विवादों के मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई नियमों को शामिल किया गया है।संहिता के आदेश **XX** में**-"**निर्णय**",** नियम **1** को

प्रतिस्थापित किया गया है कि दलीलों के समापन के नब्बे दिनों के भीतर**,** वाणिज्यिक न्यायालय**/**वाणिज्यिक प्रभाग**/**वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग निर्णय सुनाने के लिए और उसकी प्रतियां विवाद के सभी पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से या अन्यथा जारी की जाएंगी।**[**पैरा **19] [629-**एफ**-**एच**; 630-**ए**-**बी**]** ए

ई.

च

जी.

एच.

609

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर।

1.3 अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जैसे मामला प्रबंधन सुनवाई और अन्य प्रावधान अदालत को वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।मामला प्रबंधन के लिए एक नया दृष्टिकोण और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशानिर्देश पेश किए गए हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया में देरी न हो।वाणिज्यिक विवाद मुकदमों की सुनवाई त्वरित गति से की जाती है ताकि मुकदमों का शीघ्र निपटान किया जा सके।अधिनियम के विभिन्न प्रावधान और अनुसूची द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में जोड़े गए संशोधन वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध तरीके से त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे में तेजी लाए और इस प्रकार निवेश और विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाए और भारत को व्यापार करने के लिए एक आकर्षक स्थान बनाए।**[**पैरा **20] [630-**सी**-**ई**]**

ग

1.4 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम**, 2015** के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और सिविल प्रक्रिया संहिता में विभिन्न संशोधनों और वाणिज्यिक विवादों के मुकदमों पर लागू संहिता में नए नियमों को शामिल करने से पता चलता है कि इसे उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र निपटान प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।उद्देश्यों और कारणों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और सिविल प्रक्रिया संहिता में विभिन्न संशोधन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से समझने की आवश्यकता है।यदि प्रावधानों को एक उदार व्याख्या दी जाती है**,** तो न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग के गठन के पीछे का उद्देश्य**,** अर्थात् मामले को तेजी से पटरी पर लाना और वाणिज्यिक विवादों का त्वरित समाधान**,** विफल हो जाएगा।'स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स' से पता चलता है कि 'अर्ली' और 'स्पीडी' जैसे शब्दों को शामिल किया गया है और दोहराया गया है।उद्देश्य तभी पूरा होगा जब अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या संकीर्ण अर्थों में की जाए और हमारी पारंपरिक कानूनी प्रणाली को प्रभावित करने वाली सामान्य प्रक्रियात्मक देरी से बाधित न हो।**[**पैरा **21] [630-**एफ**-**एच**; 631-**ए**]**

डी.

ई.

च

जी.

1.5 अचल संपत्ति से संबंधित विवाद एक वाणिज्यिक विवाद नहीं हो सकता है।लेकिन यह एक वाणिज्यिक विवाद बन जाता है**,** यदि यह अधिनियम की धारा **2 (1) (**सी**)** के उपखंड **(vii)** के तहत आता है**-**"व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते"।"विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले" शब्दों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए।द**.**

एच.

610 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

क.

"प्रयुक्त" शब्द "वास्तव में प्रयुक्त" को दर्शाता है और यह या तो "उपयोग के लिए तैयार" या "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने के लिए" नहीं हो सकता है।इसका "वास्तव में उपयोग" किया जाना चाहिए।इस तरह की व्यापक व्याख्या अधिनियम के उद्देश्यों और ऊपर चर्चा की गई त्वरित निगरानी प्रक्रिया को विफल कर देगी।**[**पैरा **22] [631-**बी**-**सी**]**

1.6 03.11.2017 पर**,** अपीलार्थी**-**वादी**,** प्रतिवादी**-**प्रतिवादी और दूसरे प्रतिवादी के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था।समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार**,** पक्षों ने भूमि के हस्तांतरण के विलेख को निष्पादित किया।**15, 000** वर्ग किलोमीटर भूमि के हिस्से के संबंध में समझौता ज्ञापन के साथ एक बंधक विलेख को एक साथ निष्पादित किया गया था। फीट।वादी के पक्ष में।पक्षों के बीच यह समझा गया कि प्रतिवादी संख्या **1** समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर विचाराधीन भूमि के लिए भूमि उपयोग अनुमति के परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा। समझौता ज्ञापन के तहत दायित्वों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या **1** द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में बंधक विलेख निष्पादित किया गया था। लेकिन उक्त बंधक विलेख को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।**[**पैरा **23] [631-**डी**-**ई**]**

ग

डी.

1.7 ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि वाद के पक्षकार विशेष रूप से**,** अपीलार्थी**-**वादी संपत्ति अभिकर्ता के रूप में और भूमि**,** भवन आदि का प्रबंधन करने के लिए व्यवसाय करते प्रतीत होते हैं और जैसा कि अपीलार्थी**-**वादी कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेखों में गिना गया है**,** उसी उद्देश्य ने स्थापित किया है कि विचाराधीन संपत्ति का उपयोग वादी के व्यवसाय के बजाय विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में किया जा रहा है।जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है**,** यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि जब **2012** में बेचने का समझौता निष्पादित किया गया था**,** तब संपत्ति का उपयोग विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य में किया जा रहा था ताकि विवाद को अधिनियम की धारा **2 (1) (**सी**)** के उपखंड **(vii)** के दायरे में लाया जा सके। केवल इसलिए कि संपत्ति का उपयोग व्यापार और वाणिज्य के संबंध में होने की संभावना है**,** यह वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता को आकर्षित करने का आधार नहीं हो सकता है।**[**पैरा **24] [631-**एफ**-**एच**]**

ई.

च

जी.

1.9 उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालयों**,** वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागों की स्थापना का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक विवादों में शामिल मामलों का निपटारा वादियों को शीघ्रता से**,** निष्पक्ष रूप से और उचित कीमत पर किया जाए।ए को ध्यान में रखते हुए

एच.

611

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर।

वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य और उद्देश्य और अधिनियम के तहत प्रदान की गई त्वरित निगरानी प्रक्रिया**,** अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और उन पर शामिल शब्दों को वाणिज्यिक मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए सार्थक रूप से

व्याख्या की जानी चाहिए ताकि वादियों को लाभ हो सके**,** विशेष रूप से वे जो व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं जो बदले में देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे।**[**पैरा **27] [632-**एच**; 633-**ए**-**बी**]**

वासु हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात आकृति टी. सी. जी.

बायोटेक लिमिटेड और ए. एन. आर. (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 724-अनुमोदित।

ग

उज्ज्वला राजे गायकवाड़ बनाम हेमाबेन अच्युत शाह

(2017) एस**.** सी**.** सी**.** गुज **583-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

(2017) एस**.** सी**.** सी**.** गुज **583**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

डी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2019 की सिविल अपील संख्या 7843।

2018 के आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 17868 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 01.03.2019 के निर्णय और आदेश से

ई.

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, अनुभव रे, सुश्री रुनाश्री सैकिया, सुश्री सोनाक्षी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।देवेन पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता, शाश्वता शुक्ला, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, पियो हैरोल्ड, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

च

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. इसमें अपीलकर्ता वडोदरा में वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर वाणिज्यिक न्यायालय मुकदमा संख्या 41/2018 में वादी है। यहाँ प्रत्यर्थियों को मुकदमे के प्रतिवादियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।वाद में अधिसूचित किए जाने पर प्रत्यर्थियों ने उपस्थित होकर लिखित बयान दायर किया था जिसमें तर्क दिया गया था कि वाद विचारणीय नहीं है क्योंकि इसमें शामिल विवाद को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (1) (सी) के अर्थ के भीतर वाणिज्यिक विवाद नहीं कहा जा सकता है।

जी.

एच.

क.

("सी. सी. अधिनियम, 2015 "संक्षेप में)।इस तरह के विवाद को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें उस न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली शिकायत को वापस करने का आदेश मांगा गया, जिसमें मुकदमा दायर किया जाना चाहिए था।हालाँकि यहाँ अपीलार्थी ने उक्त आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन उसने इसका विरोध किया था।आवेदन को प्रदर्शनी 15 के रूप में पंजीकृत किया गया था और वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने विचार पर दिनांक 17.10.2018 के आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया था।उक्त आदेश से व्यथित होने का दावा करने वाले उत्तरदाताओं ने आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन No.17868/2018 में गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।उच्च न्यायालय ने दिनांक 2 के एक विस्तृत आदेश के माध्यम से याचिका को अनुमति दी है, वाणिज्यिक न्यायालय, वडोदरा द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार कर दिया है और आदेश 7 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को अनुमति देने पर निर्देश दिया है कि शिकायत को अपीलार्थी को वापस कर दिया जाए।अतः इसमें अपीलार्थी, दिनांकित 01.03.2019 आदेश से व्यथित होने का दावा करते हुए, इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

ग

डी.

3. वर्तमान स्थिति का कारण बनने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी ने समझौते में वर्णित भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांकित 14.02.2012 बेचने के लिए एक समझौते को निष्पादित किया।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त समझौते के तहत अपने सभी अधिकारों को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में बेचने के लिए दिनांकित 12.10.2017 असाइनमेंट डीड को निष्पादित करके सौंपा और स्थानांतरित कर दिया।उस दृष्टिकोण से, यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 1 को उन भूमि को खरीदना था जो यहाँ अपीलार्थी से समझौते की विषय वस्तु थीं।तदनुसार, बिक्री दिनांक 03.11.2017 के एक प्रेषण विलेख के तहत की गई थी।चूँकि लेन-देन के समापन के लिए भूमि के उपयोग की प्रकृति से संबंधित परिवर्तन के संबंध में कुछ अन्य पहलुओं को पूरा किया जाना था, इसलिए भूमि के संबंध में अपीलार्थी के अधिकार की रक्षा की जानी थी।उस दृष्टिकोण से अपीलार्थी और उत्तरदाताओं के बीच दिनांकित एक समझौता ज्ञापन दर्ज किया गया था।उसी के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक बंधक विलेख निष्पादित करने की आवश्यकता थी।4. तदनुसार, 03.11.2017 दिनांकित एक बंधक विलेख निष्पादित किया गया था लेकिन उसे पंजीकृत नहीं किया गया था।इसी संदर्भ में अपीलार्थी ने वाणिज्यिक दीवानी मुकदमा सं. 41/2018 दायर किया ताकि बंधक विलेख के निष्पादन को लागू किया जा सके।नतीजतन, ए की राहत

ई.

च

जी.

एच.

613

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

स्थायी निषेधाज्ञा और अन्य संबंधित राहत मांगी गई थी।यह उक्त मुकदमे में है, प्रतिवादियों को समन जारी किया गया था जो मुकदमे में प्रतिवादी हैं, जिसमें लिखित बयान दायर करने पर सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 10 के तहत आवेदन दायर किया गया था। वाणिज्यिक न्यायालय ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए अपीलकर्ता कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेख का उल्लेख किया था और उस प्रकाश में उस व्यवसाय पर ध्यान देते हुए जो वे करने के हकदार थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी एक संपत्ति एजेंट के रूप में व्यवसाय कर रहा है और उस परिस्थिति में आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह एक वाणिज्यिक विवाद है।दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने उस तरीके में त्रुटि पाई थी जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय ने ज्ञापन और संघ के लेखों पर अपने विचार को आराम दिया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मामले की विस्तार से जांच की थी कि तत्काल मामले में अचल संपत्ति का उपयोग व्यापार या वाणिज्य के लिए नहीं किया जा रहा था।उस संबंध में, विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति को संदर्भित किया गया था और तदनुसार वाद को एक उपयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर यहाँ आरोप लगाया गया है।

ग

डी.

5. हमने श्री ध्रुव मेहता, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री देवेन पारिख, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है और अपील पत्रों का अध्ययन किया है।

6. शुरुआत में, यह देखा जाता है कि तत्काल मामले में आवश्यक विचार यह है कि क्या इसमें पक्षों के बीच लेनदेन, जो मुकदमे का विषय है, को "वाणिज्यिक विवाद" के रूप में माना जा सकता है ताकि वाणिज्यिक न्यायालय मुकदमे पर विचार कर सके।इस संबंध में, सी. सी. अधिनियम, 2015 की धारा 2 (1) (सी) (vii) पर ध्यान देना आवश्यक है।प्रासंगिक सीमा तक उक्त प्रावधान संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है।

ई.

च

“Sec.2 (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,-(a) XXX

(ख) XXX

जी.

(ग) "वाणिज्यिक विवाद" से निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला विवाद अभिप्रेत है -

((ii) XXX

(iii) XXX

एच.

(iv) XXX

(v) XXX

(vi) XXX

((vii) व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते;

(viii) XXX

(ix) XXX

(x) XXX

ग

(xi) XXX

(xii) XXX

(xiii) XXX

(xiv) XXX

डी.

(xv) XXX

(xvi) XXX

(xvii) XXX

(xviii) XXX

ई.

(xix) XXX

(एक्सएक्स) एक्सएक्सएक्स

(xxi) XXX

च

(xxii) XXX

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा भरोसा किए गए प्रावधान के अवलोकन से यह देखा गया है कि व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवाद वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा मुकदमा चलाने के लिए एक वाणिज्यिक विवाद होने के योग्य होंगे।अतः प्रश्न यह होगा कि तत्काल मामले में यद्यपि पक्षकारों ने अचल संपत्ति की बिक्री लेनदेन किया है और वर्तमान में मुकदमे में अचल संपत्ति से संबंधित एक बंधक विलेख का पंजीकरण मांगा गया है, क्या इसमें शामिल अचल संपत्ति को विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग किया जा रहा माना जा सकता है।

जी.

एच.

615

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

क.

7. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं ताकि यह तर्क दिया जा सके कि अपीलार्थी संबंधित भूमि में एक उद्योग चला रहा था जिसे उस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि को विकसित करने के लिए इसे खरीदा है और इस दृष्टिकोण से भूमि वह है जिसका उपयोग व्यापार और वाणिज्य के लिए किया जाता है।दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके विपरीत तर्क दिया है कि अपीलकर्ता ने पिछले कई वर्षों से काम करना बंद कर दिया था और कंपनी निष्क्रिय होने के कारण, इसमें शामिल भूमि का उपयोग व्यापार या वाणिज्य के लिए नहीं किया जा रहा था और भले ही प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भूमि उपयोग में बदलाव और भूमि को विकसित करने की मांग की है, लेकिन यह भूमि उपयोग के ऐसे परिवर्तन के अधीन होगा जिसे मंजूरी दी जाएगी और भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि लेन-देन की तारीख को भूमि का उपयोग व्यापार या वाणिज्य के लिए नहीं किया जा रहा है और वर्तमान में एक मुकदमा वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

ग

8. यद्यपि इस तरह की प्रतिद्वंद्वी दलीलें दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन इन पहलुओं को अमूर्त रूप से नहीं निपटाया जा सकता है।इसके बजाय विवाद की प्रकृति और उस पर विचार करने की अधिकारिता को मुकदमे में ही प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए क्योंकि एक दीवानी मुकदमे में अभिवचन, अर्थात् वाद में अभिकथन शुरू में अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए प्रासंगिक होंगे।इसलिए अन्य पहलुओं पर ध्यान देने से पहले शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक होगा।वादी ने अपीलार्थी और उत्तरदाताओं के बीच लेन-देन की प्रकृति का विस्तार से उल्लेख किया है।इसके पैरा 5 में शहर सर्वेक्षण No.1101 के अनुरूप आर. एस. No.122 और मौजे सुभानपुरा रेग में 9207 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्र वाले 1100/1 का विवरण दिया गया है। जिला, वडोदरा को संदर्भित किया जाता है।इसके अलावा संपत्ति की अनुसूची को पैरा 6 में दर्शाया गया है और समझौता ज्ञापन का संदर्भ दिया गया है जहां फिर से भूमि का संदर्भ दिया गया है।इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि उपयोग को बदलने के साथ-साथ अनुमति के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करना प्रतिवादी संख्या 1 (वाद में प्रतिवादी संख्या 2) की कुल जिम्मेदारी होगी।प्रीमियम के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को संदर्भित किया जाता है और समझौता ज्ञापन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बंधक विलेख को सुरक्षित करने का वादी का अधिकार बताया जाता है।पूरे वाद में भूमि की प्रकृति या उपयोग के उस प्रकार का कोई संदर्भ नहीं है जिस पर इसे बेचने/बिक्री विलेख/समझौता ज्ञापन की तारीख या मुकदमे की तारीख तक रखा जा रहा था।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

9. आगे पैरा 21 में कार्रवाई के कारण का उल्लेख करने पर, वादी ने इसके बाद पैरा 22 में मामले की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए न्यायालय की अधिकारिता को संदर्भित किया है।उसी को निकालना उचित होगा जो यहाँ नीचे लिखा हैः

"22.अधिकार क्षेत्रः वादी का कहना है कि वडोदरा की भूमि पर अपना कार्यालय रखने वाले प्रतिवादी जो तत्काल मुकदमे का विषय है, इस माननीय न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित है और इसलिए इस माननीय न्यायालय के पास मामले को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।"

भले ही अधिकारिता का वर्णन करने वाले पैराग्राफ में वादी ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में कहा है क्योंकि कार्यालय और भूमि वडोदरा में है, लेकिन उस कारण का संकेत देने वाला कोई संदर्भ नहीं है जिसके लिए वादी यह दलील देता है कि अदालत जो विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिए गठित वाणिज्यिक न्यायालय है, के पास तत्काल मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है।उस पृष्ठभूमि में, वाद में की गई प्रार्थना का अवलोकन अनिवार्य रूप से इंगित करेगा कि मुकदमा समझौता ज्ञापन की शर्तों के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए है, जिसके तहत यह सहमति है कि बंधक विलेख को निष्पादित किया जाए।भले ही बंधक विलेख के तहत अचल संपत्ति विषय वस्तु थी, यह दलील देना और इंगित करना आवश्यक था कि इसका उपयोग व्यापार या वाणिज्य में किया जा रहा था जिसके कारण वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता लागू की जाती है।वाद में इस तरह के बुनियादी अभिवचनों के बिना, बाद में दिए जाने वाले किसी भी स्पष्टीकरण से केवल ऐसी स्थिति पैदा होगी कि यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो प्रत्येक वाद में बाहरी सामग्री के आधार पर विचार की आवश्यकता होगी, यहां तक कि यह पता लगाने के लिए कि क्या पक्षों के बीच इच्छित लेनदेन ऐसी प्रकृति का था कि इसे एक वाणिज्यिक विवाद के रूप में माना जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

10. जो भी हो, दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय की घोषणा के अभाव में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति पर भरोसा करने की मांग की है।उस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक ही बिंदु पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है।हालाँकि, हम उनमें से प्रत्येक को संदर्भित करना और इस आदेश पर अधिक बोझ डालना उचित नहीं पाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में तत्काल मामले का निर्णय लेते समय विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है और उसके बाद अपने निष्कर्ष पर पहुँच गया है।विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा की गई चर्चा भी उचित है।उस दृष्टिकोण से, हम एक प्रभाग के निर्णय का उल्लेख करेंगे।

जी.

जगमोहन बहल बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर**, 2017** ए के मामले में पीठ

एच.

617

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 10706 ने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पर भरोसा किया।इस संबंध में, यह देखा गया है कि उक्त मामले में सी. सी. अधिनियम, 2015 के खंड 2 (1) (सी) (vii) में निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसमें शामिल विवाद एक वाणिज्यिक विवाद होगा और "अचल संपत्ति के संबंध में" और "से उत्पन्न होने वाली" अभिव्यक्ति को संकीर्ण और प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और अभिव्यक्ति में अचल संपत्तियों के संबंध में समझौतों से संबंधित सभी मामले शामिल होंगे।उक्त निष्कर्ष ऐसी परिस्थिति में निकला था जब विचाराधीन अचल संपत्ति का उपयोग निस्संदेह व्यापार या वाणिज्य के लिए किया जा रहा था और यह तब माना गया था जब मुकदमे में दावा ऐसी अचल संपत्ति के उपयोग के लिए किराए या अपने लाभ, प्रतिभूति जमा आदि की वसूली के लिए है।

ग

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने गुजरात की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

उच्च न्यायालय ने वासु हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात आकृति टी. सी. जी. बायोटेक लिमिटेड, ए. आई. आर. 2017 गुजरात 153 के मामले में, जिसमें

डी.

एक विस्तृत विचार किया गया है और पहले के एक निर्णय पर ध्यान देते हुए उसमें जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह यह है कि सी. सी. अधिनियम, 2015 के खंड 2 (1) (सी) के एक सादे पठन पर "प्रयुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ "वास्तव में उपयोग किया गया" या "उपयोग किया जा रहा है" होना चाहिए।यह आगे समझाया गया है कि यदि विधायिका का इरादा दायरे का विस्तार करना होता, तो उस स्थिति में "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने" वाक्यांश का उपयोग किया जाता।उसमें शब्दशः विचार नीचे दिया गया है;

ई.

“इसलिए, यदि विवाद खंड 2 (सी) में से किसी के भीतर आता है तो विवाद को "वाणिज्यिक विवाद" कहा जा सकता है जिसके लिए वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता होगी।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मूल वादी ने केवल वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई), 2 (सी) (आई) और 2 (सी) (एक्स) पर भरोसा किया था।मूल

वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और/या स्वीकार किया है कि मामला वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के खंड 2 (सी) (आई); 2 (सी) (आई) या 2 (सी) (एक्स) के भीतर नहीं आएगा। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मूल वादी की ओर से यह मामला कभी नहीं था कि मामला विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय की धारा 2 (सी) (vii) के भीतर आएगा।उपरोक्त के बावजूद हमने गुण-दोष पर विचार किया है कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (सी) (vii) पर भी विचार करते हुए,

च

जी.

एच.

618

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (सी) की परिभाषा के भीतर पक्षों के बीच विवाद को "वाणिज्यिक विवाद" कहा जा सकता है या नहीं?धारा 2 (ग) (vii) पर विचार करते हुए, "वाणिज्यिक विवाद" का अर्थ है संबंधित समझौतों से उत्पन्न होने वाला विवाद।

विशेष रूप से व्यापार में उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति या

व्यापार।जैसा कि ऊपर देखा गया है, मुकदमा दायर करने के समय और शिकायत में इस प्रकार भी अनुरोध किया गया है, अचल संपत्ति/भूखंडों को पक्षों के बीच समझौतों के रूप में नहीं कहा जा सकता है

विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते

व्यापार या वाणिज्य में।जी. आई. डी. सी. से पट्टे पर भूखंड प्राप्त करने के बाद पक्षकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, इसके बाद मूल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इसे विकसित करने की आवश्यकता थी और सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और इसे उप-प्लॉट करने के बाद, इसे मूल वादी की तरह अन्य व्यक्तियों को दिया जाना आवश्यक है।यह मूल वादी की ओर से मामला है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने और भूखंडों को विकसित करने में विफल रहा है और इसलिए, समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है।अन्य वैकल्पिक प्रार्थनाएँ भी हैं।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि समझौता विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित है।मूल वादी की ओर से यह मामला है कि धारा 2 (सी) के खंड (vii) के अनुसार, प्रयुक्त फार्सोलॉजी का "वास्तव में उपयोग" या "उपयोग" नहीं किया जा रहा है और इसलिए, भले ही वर्तमान में भूखंड का उपयोग नहीं किया जाता है और भले ही भविष्य में भी इसका उपयोग होने की संभावना हो, उस मामले में भी धारा 2 (सी) (vii) लागू होगी और इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता होगी। उपरोक्त में कोई सार नहीं है।कानून के मूल सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष क़ानून या प्रावधान की व्याख्या करते समय, शाब्दिक और सख्त व्याख्या को लागू करना पड़ता है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रासंगिक में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द

ग

डी.

ई.

च

प्रावधान "अचल संपत्ति है जिसका उपयोग विशेष रूप से व्यापार में किया जाता है।

या व्यापार "।यदि उस मामले में मूल वादी की ओर से निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो यह क़ानून में कुछ ऐसा जोड़ना होगा जो क़ानून में नहीं है, जिसकी अनुमति नहीं है।प्रासंगिक खंड के सादे पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि "प्रयुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ "वास्तव

में उपयोग किया गया" या "उपयोग किया जा रहा है" होना चाहिए।यदि विधायिका का इरादा दायरे का विस्तार करना था, तो उस मामले में उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश अलग होता, उदाहरण के लिए, "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने के लिए"।"प्रयुक्त" शब्द

जी.

एच.

619

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

क.

यह "वास्तव में उपयोग" को दर्शाता है और इसे या तो "उपयोग के लिए तैयार" या "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने के लिए" नहीं कहा जा सकता है।बंबई उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) ने भी इसी तरह का विचार रखा है।

दिनेश कुमार गुलाबचंद अग्रवाल (सुप्रा) का मामला और यह

यह देखा जाता है और माना जाता है कि "उपयोग किया गया" शब्द "वास्तव में उपयोग किया गया" दर्शाता है और केवल "उपयोग के लिए तैयार" नहीं है।यह बताया गया है कि उक्त निर्णय के खिलाफ एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।"

12. यद्यपि हमे सूचित किया गया है कि उक्त निर्णय पर इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका में हमला किया गया है, हम उसमें व्यक्त विचार से सहमत होने के इच्छुक हैं।यही कारण है कि इस न्यायालय ने अनन्य भूमि उपयोग से संबंधित मुद्दे की जांच करते हुए, हालांकि विभिन्न संदर्भों में कृषि या गैर-कृषि उद्देश्य के लिए भूमि के वर्तमान उपयोगकर्ता के प्रासंगिक होने पर जोर दिया है। उस संबंध में, निर्णय प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निर्भर था

ग

फेडरेशन ऑफ ए. पी. चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ओ. आर. एस. बनाम के मामले मेंए. पी. और ओ. आर. एस., (2000) 6 एस. सी. सी. 550 की स्थिति देखी गई है,

डी.

जिसमें इसे निम्नलिखित रूप में देखा जाता हैः“6.उक्त अधिनियम की धारा 3 "भूमि का उपयोग किसी भी औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाता है", "भूमि का उपयोग किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जाता है" और "भूमि का उपयोग किसी अन्य गैर-कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता है" की बात करती है।"उपयोग किया जाता है" शब्द पर जोर दिया जाता है।गैर-कृषि भूमि पर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर मूल्यांकन लगाने के उद्देश्य से, इस तथ्य के रूप में एक निष्कर्ष निकालना होगा कि भूमि वास्तव में एक औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग में है।यही बात किसी वाणिज्यिक उद्देश्य या किसी अन्य गैर-कृषि उद्देश्य पर भी लागू होगी।” “9.इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह केवल वही भूमि है जो वास्तव में उक्त अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है जिसका आकलन औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए निर्दिष्ट दर पर गैर-कृषि मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।चुनौती के तहत निर्णय में "प्रयुक्त" शब्द को दिया गया व्यापक अर्थ असमर्थनीय है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त अधिनियम एक कर लगाने वाला क़ानून है, कोई भी न्यायालय विधायिका पर इस इरादे का आरोप लगाने में उचित नहीं है कि उसने जिस भाषा को नियोजित किया है, उसमें स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है।"

ई.

च

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

620

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

13. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क होगा कि कानूनों पर कर लगाने के मामले में एक सख्त व्याख्या तत्काल मामले में उचित नहीं होगी जहाँ मुद्दा अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उन उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख किया है जिनके साथ वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया है ताकि उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र निपटान किया जा सके ताकि स्वतंत्र और उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली के बारे में निवेशकों की दुनिया में सकारात्मक छवि बनाई जा सके।इसलिए, वह तर्क देते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए।यह तर्क दिया जाता है कि मुकदमे पर विचार करते समय और विवाद को एक वाणिज्यिक विवाद मानते हुए एक व्यापक उद्देश्य और अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए।प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देने के बाद हम महसूस करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए 2015 का सी. सी. अधिनियम अधिनियमित किया गया है, वह विफल हो जाएगा यदि प्रत्येक अन्य मुकदमे पर केवल इसलिए विचार किया जाए क्योंकि यह वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।यही कारण है कि वे वाद जो वास्तव में वाणिज्यिक विवाद से संबंधित नहीं हैं, बल्कि केवल उच्च मूल्य के कारण और शीघ्र निपटान की मांग करने के इरादे से दायर किए जा रहे हैं, केवल प्रणाली को बाधित करेंगे और वास्तविक वाणिज्यिक विवादों का मार्ग अवरुद्ध करेंगे, जिन पर वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा विचार किया जा सकता है जैसा कि कानून निर्माताओं द्वारा इरादा किया गया है।वाणिज्यिक विवादों में, जैसा कि परिभाषित किया गया है, मुकदमेबाजी के एक वर्ग के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की जाती है और उस अधिकार क्षेत्र में केवल उस वर्ग के मुकदमेबाजी पर विचार करने के लिए एक सख्त प्रक्रिया का पालन करना होगा।यदि इसकी कड़ाई से व्याख्या की जाती है तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को बाहर रखा गया है वे बिना किसी उपचार के गैर-उपयुक्त होंगे।मुकदमेबाजी के बहिष्कृत वर्ग पर किसी भी स्थिति में सामान्य दीवानी न्यायालयों में विचार किया जाएगा जहां उपचार हमेशा मौजूद रहा है।14. इस दृष्टिकोण से केवल उन विवादों की सावधानीपूर्वक जांच और विचार करना भी आवश्यक है जो वास्तव में अधिनियम के तहत प्रदान की गई "वाणिज्यिक विवादों" की परिभाषा का उत्तर देते हैं। तत्काल मामले में, जैसा कि पहले ही ध्यान दिया गया है, न तो पक्षों के बीच समझौता अचल संपत्ति की प्रकृति को संदर्भित करता है जिसका उपयोग समझौते की तारीख को विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य के लिए किया जा रहा है और न ही शिकायत में उस प्रभाव के लिए कोई अभिवचन है।इसके अलावा मुकदमे में मांगी गई राहत बंधक विलेख के निष्पादन के लिए है जो मुकदमे की तारीख को व्यापार या वाणिज्य में अचल संपत्ति के उपयोग की प्रकृति के संदर्भ के बिना समझौता ज्ञापन की शर्तों के विशिष्ट प्रदर्शन की प्रकृति में है।इसलिए, यदि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, तो हमारी राय है कि वर्तमान तथ्यों में उच्च न्यायालय को ए के आदेश के माध्यम से आए अपने निष्कर्ष में उचित ठहराया गया था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

621

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर।

01.03.2019 यहाँ आक्षेप किया गया।इसलिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुति के लिए एक तारीख का संकेत देते हुए शिकायत को वापस कर देगा।

15. तदनुसार, तत्काल अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

आर। बनुमथी, न्यायधीश

1. मैंने अपने सम्मानित भाई न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना के फैसले को पढ़ा है।मैं इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (vii) के अंतर्गत आने के लिए, अचल संपत्ति का व्यापार या वाणिज्य में "विशेष रूप से उपयोग" या "विशेष रूप से उपयोग" किया जाना चाहिए।हालाँकि, इसमें शामिल प्रश्न के महत्व को देखते हुए, मैं अपने सम्मानित भाई के निष्कर्ष से सहमत होने के लिए अपने तर्क देना चाहूंगा।

ग

2. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्या 4) भारत के राजपत्र में 01.01.2016 पर प्रकाशित किया गया।माना जाता है कि यह अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015 से लागू हुआ है।2016 के अधिनियम संख्या 4 को 2018 के केंद्रीय अधिनियम 28-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था।

डी.

ई.

3. हम विधि आयोग की 253 वीं रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सिफारिशें की गई हैं।विधि आयोग की 253 वीं रिपोर्ट के अध्याय IV-"निष्कर्ष और सिफारिशों का सारांश" का पैरा (4.2) इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ 4.2 जिन वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागों की सिफारिश की गई है, उनका उद्देश्य भारत में नागरिक न्याय प्रणाली में सुधार के बड़े लक्ष्य में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में काम करना है।लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमों का निपटान शीघ्रता से, निष्पक्षता से और वादी को उचित कीमत पर किया जाए।इससे न केवल वादी को लाभ होता है, बल्कि अन्य संभावित वादी (विशेष रूप से जो व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं) भी वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के कारण होने वाले बैकलॉग में कमी से लाभान्वित होते हैं।बदले में, यह आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा, विदेशी निवेश को बढ़ाएगा और भारत को व्यापार करने के लिए एक आकर्षक स्थान बनाएगा।इसके अलावा, यह एक मजबूत विवाद को देखते हुए समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित करता है

च

जी.

एच.

क.

समाधान तंत्र एक अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है।1

विधि आयोग की 253 वीं रिपोर्ट के बाद, 2016 के अधिनियम संख्या 4 को 2018 के केंद्रीय अधिनियम 28 द्वारा संशोधित किया गया था।

4. अधिनियम की धारा 3 वाणिज्यिक न्यायालयों के गठन से संबंधित है।अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्य से यदि आवश्यक समझा जाए तो जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 3 (1 ए) के अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालयों को "निर्दिष्ट मूल्य" के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जो पूरे राज्य या राज्य के हिस्से के लिए तीन लाख रुपये से कम या ऐसे उच्च मूल्य के नहीं होंगे, जो वह आवश्यक समझे।2018 में संशोधन के बाद, धारा 3 के प्रावधान में प्रावधान है कि वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन उस क्षेत्र के संबंध में किया जा सकता है जिस पर उच्च न्यायालयों के पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है।अधिनियम की धारा 5 (1) अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक या अधिक खंड पीठों वाले वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के गठन का प्रावधान करती है।

ग

डी.

5. धारा 6 वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है।अधिनियम की धारा 6 निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“6. वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता।- द कमर्शियल

ई.

न्यायालय के पास उस राज्य के पूरे क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी मुकदमों और आवेदनों का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जिस पर वह निहित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रहा है।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के पूरे क्षेत्र से एक वाणिज्यिक विवाद उत्पन्न होने पर विचार किया जाएगा, जिस पर एक वाणिज्यिक न्यायालय निहित क्षेत्राधिकार रहा है, यदि ऐसे वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मुकदमा या आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 16 से 20 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है।6. धारा 7 उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता से संबंधित है।अधिनियम की धारा 7 निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

1 विधि आयोग की 253 वीं रिपोर्ट-उच्च न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक, 2015 के अध्याय-IV-'निष्कर्ष और सिफारिशों का सारांश' का पैरा (4.2) देखें।

एच.

623

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [आर. भानुमति, जे.] ए.

क.

“7. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता।

– सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में दायर किए गए निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगाः

बशर्ते कि वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जो किसी अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि वे जिला न्यायालय से कमतर न्यायालय में हैं और जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर या लंबित हैं, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुने जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगाः

ग

बशर्ते कि डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 22 की उप-धारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किए गए सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा उन सभी क्षेत्रों में की जाएगी जिन पर उच्च न्यायालय सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता का प्रयोग करता है। 7. उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभागों की स्थापना की जानी है, जिनके पास पहले से ही सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है, जिसमें एक या अधिक पीठें हैं, जिनमें एक एकल न्यायाधीश होता है, जिसे अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव होता है। धारा 7 (1) और उसके परंतुक के अनुसार, वाणिज्यिक प्रभाग एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई और निपटान करेगा, जो जिला न्यायालय से कम अदालत में नहीं हैं और सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं और वे मामले भी जो डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 22 (4) के तहत या पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104 के तहत उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए गए हैं। 8.अधिनियम की धारा 5 वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के संविधान से संबंधित है।अधिनियम की धारा 5 (1) निम्नानुसार हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

च

“5. वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन।– (1)

धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने या धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत आदेश जारी करने के बाद, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आदेश द्वारा, अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक या अधिक खंड पीठों वाले वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन करेगा।

जी.

एच.

……”

अधिनियम की धारा 5 (2) के संदर्भ में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामित करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव है।

9. धारा 2 (1) (सी) "वाणिज्यिक विवाद" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः- “2. परिभाषाएँ।- (1) इस अधिनियम में, व्यर्थ संदर्भ अन्यथा आवश्यक है, -

…….

(ग) "वाणिज्यिक विवाद" से उत्पन्न होने वाला विवाद अभिप्रेत है-(i) व्यापारियों, बैंकरों, वित्तपोषकों और व्यापारियों के सामान्य लेन-देन जैसे कि व्यापारिक दस्तावेजों से संबंधित, जिसमें ऐसे दस्तावेजों का प्रवर्तन और व्याख्या शामिल है;

ग

((ii) माल या सेवाओं का निर्यात या आयात; (iii) नौसेना और समुद्री कानून से संबंधित मुद्दे; (iv) विमान, विमान इंजन, विमान उपकरण और हेलीकॉप्टर से संबंधित लेनदेन, जिसमें उनकी बिक्री, पट्टे पर देना और वित्तपोषण शामिल है;

डी.

(v) माल की ढुलाई; (vi) निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबंध, जिसमें निविदाएं भी शामिल हैं।

ई.

((vii) व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते;

(viii) फ्रेंचाइजी समझौते; (ix) वितरण और लाइसेंस समझौते; (x) प्रबंधन और परामर्श समझौते; (xi) संयुक्त उद्यम समझौते;

च

(xii) शेयरधारक समझौते; (xiii) सदस्यता और आउटसोर्सिंग सेवाओं और वित्तीय सेवाओं सहित सेवा उद्योग से संबंधित निवेश समझौते;

जी.

(xiv) व्यापारिक एजेंसी और व्यापारिक उपयोग; (xv) साझेदारी समझौते; ए

एच.

625

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [आर. भानुमति, जे.] ए.

(xvi) प्रौद्योगिकी विकास समझौता; (xvii) पंजीकृत और अपंजीकृत ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, डोमेन नाम, भौगोलिक संकेत और अर्धचालक एकीकृत परिपथ से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार;

(xviii) वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौते; (xix) तेल और गैस भंडार या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन;

((xii) बीमा और पुनर्बीमा; (xii) उपरोक्त में से किसी से संबंधित एजेंसी का अनुबंध; और (xiii) ऐसे अन्य वाणिज्यिक विवाद जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

ग

स्पष्टीकरण।- एक वाणिज्यिक विवाद केवल इसलिए वाणिज्यिक विवाद नहीं रहेगा क्योंकि -

डी.

(क) इसमें अचल संपत्ति की वसूली या प्रतिभूति के रूप में दी गई अचल संपत्ति से धन की वसूली के लिए कार्रवाई भी शामिल है या अचल संपत्ति से संबंधित कोई अन्य राहत शामिल है;

(ख) संविदाकारी पक्षों में से एक राज्य या उसकी कोई एजेंसी या उपकरण, या सार्वजनिक कार्यों को करने वाला एक निजी निकाय है;

ई.

(घ) "वाणिज्यिक प्रभाग" से धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत गठित उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग अभिप्रेत है;

च

(ङ) "जिला न्यायाधीश" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड (क) में दिया गया है:(च) "दस्तावेज" से कोई भी विषय-वस्तु अभिप्रेत है जो अक्षरों, आकृतियों या चिह्नों, या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से या उन साधनों में से एक से अधिक के माध्यम से व्यक्त या वर्णित की गई है, जिसका उपयोग करने का इरादा है, या जिसका उपयोग उस विषय को दर्ज करने के उद्देश्य से किया जा सकता है;

जी.

(छ) "अधिसूचना" का अर्थ है आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना और इसके संज्ञानात्मक अर्थों और व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ "अधिसूचित" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

एच.

626

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

(ज) "अनुसूची" से अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और (i) वाणिज्यिक विवाद के संबंध में "निर्दिष्ट मूल्य" से धारा 12 के अनुसार निर्धारित वाद के संबंध में विषय वस्तु का मूल्य अभिप्रेत होगा [जो नहीं होगा]

तीन लाख रुपये से कम हो] या ऐसा अधिक मूल्य, जैसे

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।"

[उप**.2018** के अधिनियम **28** द्वारा**,** धारा**. 4 (II),** "जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा**" (w.r.e.f**। **3-5-2018)]**।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में वाणिज्यिक विवाद के संबंध में "निर्दिष्ट मूल्य" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ किसी मुकदमे के संबंध में विषय वस्तु का मूल्य होगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।

ग

धारा 12 के अनुसार [जो तीन लाख से कम नहीं होगी]

रुपये] या ऐसा उच्च मूल्य, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।धारा 12 अधिनियम के उद्देश्य के लिए वाद, आवेदन या अपील के मूल्यांकन के लिए मानदंड प्रदान करती है।

डी.

11. एक मामला निम्नलिखित कारकों पर वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में आएगा:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

((i) यह अधिनियम की धारा 2 (1) (ग) के अर्थ के भीतर एक वाणिज्यिक विवाद होगा; और

ई.

((ii) ऐसे वाणिज्यिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (i) के अनुसार एक निर्दिष्ट मूल्य के होते हैं।

12. अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक वाणिज्यिक न्यायालय या एक वाणिज्यिक प्रभाग किसी भी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी भी मुकदमे पर विचार या निर्णय नहीं करेगा, जिसके संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से किसी अन्य कानून के तहत प्रतिबंधित है।13. अधिनियम की धारा 15 लंबित मामलों के हस्तांतरण से संबंधित है।अधिनियम की धारा 15 निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

"15. लंबित मामलों का हस्तांतरण।– (1) सभी सूट और अनुप्रयोग,

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के तहत आवेदनों सहित, एक उच्च न्यायालय में लंबित निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित, जहां एक वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है, वाणिज्यिक प्रभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

एच.

627

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [आर. भानुमति, जे.] ए.

क.

(2) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के तहत आवेदनों सहित सभी मुकदमे और आवेदन, किसी भी जिले या क्षेत्र के किसी दीवानी न्यायालय में लंबित निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित हैं, जिसके संबंध में एक वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय को स्थानांतरित किया जाएगाः

बशर्ते कि कोई भी वाद या आवेदन जहां वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के गठन से पहले न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा गया है, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।……".

ग

14. जहां तक हस्तांतरित मामलों का संबंध है, अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसार, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVA के अनुसार ऐसे मुकदमे या आवेदन के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए नई समयसीमा निर्धारित करेगा या आगे के निर्देश जारी करेगा।लिखित विवरण दाखिल करने के लिए नई समय अवधि निर्धारित की जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 1 के उप-नियम (1) का परन्तुक स्थानांतरित मामलों पर लागू नहीं होगा और न्यायालय अपने विवेक से एक नई समय अवधि निर्धारित कर सकता है जिसके भीतर लिखित विवरण दाखिल किया जाएगा।

डी.

15. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की प्रस्तावना इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के गठन के लिए एक अधिनियम जो निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए है।"

च

16. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

जी.

उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान का प्रावधान करने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है।उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों में जटिल तथ्य और कानून का प्रश्न शामिल होता है।इसलिए, उनके शीघ्र समाधान के लिए एक स्वतंत्र तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र समाधान

एच.

628

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

स्वतंत्र और उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली के बारे में निवेशक दुनिया के लिए एक सकारात्मक छवि बनाना।

…….

6. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अध्यादेश, 2015 के स्थान पर उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक, 2015 पेश करने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन, उस क्षेत्र को छोड़कर जिस पर किसी भी उच्च न्यायालय का सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है।

ग

((ख) उन उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभागों का गठन जो पहले से ही सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं और उनके पास ऐसे क्षेत्रों पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जिन पर उनका मूल अधिकार क्षेत्र है।

डी.

((ग) वाणिज्यिक न्यायालयों के आदेशों और उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन;

ई.

((iv) ऐसे वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभाग की न्यूनतम आर्थिक अधिकारिता एक करोड़ रुपये प्रस्तावित है; और

(v) वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करना जो मौजूदा उच्च न्यायालयों के नियमों और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्य प्रावधानों पर प्रबल होगा ताकि दक्षता में सुधार हो और वाणिज्यिक मामलों के निपटारे में देरी को कम किया जा सके।

च

……..."

जी.

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग वाणिज्यिक मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और वादी को उचित कीमत पर निपटान करें।

एच.

629

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [आर. भानुमति, जे.] ए.

क.

17. धारा 13 वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों के फरमानों की अपीलों से संबंधित है।अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसके समक्ष दायर अपीलों का निपटारा करने का प्रयास करेंगे।

वाणिज्यिक विवादों के निर्णय के लिए त्वरित प्रक्रिया

18. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, अधिनियम के तहत संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में मुकदमे के मुकदमे में लागू होंगे।अधिनियम की धारा 16 निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“16. वाणिज्यिक विवादों पर इसके अनुप्रयोग में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन।– (1) द.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, किसी निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे पर अपने आवेदन में, अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित होंगे।

डी.

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में मुकदमे के मुकदमे में इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों का पालन करेंगे।

ई.

(3) जहां राज्य सरकार द्वारा अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के किसी नियम का कोई प्रावधान या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कोई संशोधन, इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के साथ टकराव में है, वहां इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान प्रबल होंगे।

च

19. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की अनुसूची सिविल प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करती है और इस तरह संहिता से महत्वपूर्ण विचलन करती है।संहिता के आदेश XIII के बाद, आदेश XIIIA-"सारांश निर्णय" जोड़ा गया है।आदेश XIIIA में मुकदमों का दायरा और वर्ग शामिल हैं जिन पर आदेश XIIIA लागू होता है, संक्षिप्त निर्णय के लिए आधार, पालन की जाने वाली प्रक्रिया, संक्षिप्त निर्णय की सुनवाई के लिए साक्ष्य, आदेश जो संक्षिप्त निर्णय के लिए ऐसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं, आदि। संहिता के आदेश XV के बाद, आदेश XVA-"केस मैनेजमेंट हियरिंग" जोड़ा गया है।आदेश एक्स. वी. ए. में पहले मामले की प्रबंधन सुनवाई (नियम 1); दैनिक आधार पर मौखिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग (नियम 4); न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान है।

जी.

एच.

मामला प्रबंधन सुनवाई में (नियम 6); मामला प्रबंधन सुनवाई का स्थगन (नियम 7); आदेशों का पालन न करने के परिणाम (नियम 8)।संशोधन के माध्यम से, वाणिज्यिक विवादों के मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई नियमों को शामिल किया गया है। संहिता के आदेश XX में-"निर्णय", नियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया है कि दलीलों के समापन के नब्बे दिनों के भीतर, वाणिज्यिक न्यायालय/वाणिज्यिक प्रभाग/वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग निर्णय सुनाने के लिए और उसकी प्रतियां विवाद के सभी पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से या अन्यथा जारी की जाएंगी।

20. अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जैसे मामला प्रबंधन सुनवाई और अन्य प्रावधान अदालत को वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।मामले के प्रबंधन के लिए एक नया दृष्टिकोण और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशानिर्देश पेश किए गए हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया में देरी न हो।मैंने वाणिज्यिक विवादों से निपटने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में लाए गए संशोधनों को लाने वाले अधिनियम और अनुसूची के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया है, केवल इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कि वाणिज्यिक विवाद मुकदमों के मुकदमे को मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए तेजी से चलाया जाता है। ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम के विभिन्न प्रावधान और अनुसूची द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में जोड़े गए संशोधन वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध तरीके से त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे में तेजी लाए और इस प्रकार निवेश और विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाए और भारत को व्यापार करने के लिए एक आकर्षक स्थान बनाए।

ग

डी.

ई.

21. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और सिविल प्रक्रिया संहिता में विभिन्न संशोधनों और वाणिज्यिक विवादों के मुकदमों पर लागू संहिता में नए नियमों को शामिल करने से पता चलता है कि इसे उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र निपटान प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।उद्देश्यों और कारणों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और सिविल प्रक्रिया संहिता में विभिन्न संशोधन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से समझने की आवश्यकता है।यदि प्रावधानों को एक उदार व्याख्या दी जाती है, तो न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग के गठन के पीछे का उद्देश्य, अर्थात् मामले को तेजी से पटरी पर लाना और वाणिज्यिक विवादों का त्वरित समाधान, विफल हो जाएगा।यदि हम उद्देश्यों और कारणों के कथन पर करीब से नज़र डालते हैं, तो 'जल्दी' और 'त्वरित' जैसे शब्दों को शामिल किया गया है और दोहराया गया है।उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की जाए

च

जी.

एच.

संकीर्ण अर्थों में और हमारी पारंपरिक कानूनी प्रणाली को परेशान करने वाली सामान्य प्रक्रियात्मक देरी से बाधित नहीं।

22. अचल संपत्ति से संबंधित विवाद एक वाणिज्यिक विवाद नहीं हो सकता है।लेकिन यह एक वाणिज्यिक विवाद बन जाता है, यदि यह अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) के उपखंड (vii) के तहत आता है।

विशेष रूप से व्यापार में उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते

या व्यापार "।"विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले" शब्दों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए।"प्रयुक्त" शब्द "वास्तव में प्रयुक्त" को दर्शाता है और यह या तो "उपयोग के लिए तैयार" या "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने के लिए" नहीं हो सकता है।इसका "वास्तव में उपयोग" किया जाना चाहिए।इस तरह की व्यापक व्याख्या अधिनियम के उद्देश्यों और ऊपर चर्चा की गई त्वरित निगरानी प्रक्रिया को विफल कर देगी।

ग

23. 03.11.2017 पर, अपीलार्थी-वादी, प्रतिवादी-प्रतिवादी और केतन भाईलालभाई शाह-दूसरे प्रतिवादी के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था।समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, पक्षों ने भूमि के हस्तांतरण के विलेख को निष्पादित किया।15, 000 वर्ग किलोमीटर भूमि के हिस्से के संबंध में समझौता ज्ञापन के साथ एक बंधक विलेख को एक साथ निष्पादित किया गया था। फीट।वादी के पक्ष में।पक्षों के बीच यह समझा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर विचाराधीन भूमि के लिए भूमि उपयोग अनुमति के परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा। समझौता ज्ञापन के तहत दायित्वों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में बंधक विलेख निष्पादित किया गया था। लेकिन उक्त बंधक विलेख को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।

डी.

ई.

24. ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि वाद के पक्षकार विशेष रूप से, अपीलार्थी-वादी संपत्ति अभिकर्ता के रूप में और भूमि, भवन आदि का प्रबंधन करने के लिए व्यवसाय करते प्रतीत होते हैं और जैसा कि अपीलार्थी-वादी कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेखों में गिना गया है, उसी उद्देश्य ने स्थापित किया है कि विचाराधीन संपत्ति का उपयोग वादी के व्यवसाय के बजाय विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में किया जा रहा है।जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि जब 2012 में बेचने का समझौता निष्पादित किया गया था, तब संपत्ति का उपयोग विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य में किया जा रहा था ताकि विवाद को अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) के उपखंड (vii) के दायरे में लाया जा सके। केवल इसलिए कि संपत्ति का उपयोग व्यापार और वाणिज्य के संबंध में होने की संभावना है, यह वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता को आकर्षित करने का आधार नहीं हो सकता है।

च

जी.

एच.

25. उज्वला राजे गायकवाड़ बनाम हेमाबेन अच्युत के मामले में

शाह 2017 एस. सी. सी. गुज 583, एक विशेष सिविल सूट No.533/2011 की स्थापना इस घोषणा के लिए की गई थी कि बिक्री विलेख का मूल्य रु। प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित करोड़ रुपये को अवैध घोषित किया जाए और साथ ही, विचाराधीन भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी।अपीलार्थी-प्रतिवादियों ने उस पर एक आवेदन दायर किया कि बिक्री विलेख में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौता वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (vii) के अर्थ में आता है और उपरोक्त मामले, एक करोड़ रुपये का मूल्य वाणिज्यिक न्यायालय को हस्तांतरित किया जाना है।निचली अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया जिसे गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागों की स्थापना का उद्देश्य और उद्देश्य यह

सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक विवादों में शामिल मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और वादी को उचित कीमत पर निपटान किया जाए और यदि ऐसा मुकदमा जो प्रोबेट कार्यवाही और/या संपत्ति के संबंध में विवाद से उत्पन्न होता है, वाणिज्यिक प्रभाग/वाणिज्यिक न्यायालय को हस्तांतरित किया जाता है, तो नियमित दीवानी न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभाग/वाणिज्यिक न्यायालयों के बीच कोई अंतर नहीं होगा और वाणिज्यिक प्रभाग/वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

ग

डी.

ई.

26. वासु हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात आकृति टी. सी. जी.

बायोटेक लिमिटेड और एक अन्य 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 724, जिसे मेरे विद्वान भाई द्वारा विस्तार से संदर्भित किया गया था, यह माना गया था कि

प्रासंगिक खंड में, यह स्पष्ट है कि "प्रयुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ "वास्तव में उपयोग किया गया" या "उपयोग किया जा रहा है" होना चाहिए।यदि विधायिका का इरादा दायरे का विस्तार करना था, तो उस मामले में उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश अलग होता, उदाहरण के लिए, "उपयोग किए जाने की संभावना" या "उपयोग किए जाने के लिए"।"प्रयुक्त" शब्द "वास्तव में प्रयुक्त" को दर्शाता है और इसे या तो "उपयोग के लिए तैयार" या "उपयोग किए जाने की संभावना" नहीं कहा जा सकता है।

च

जी.

इस्तेमाल किया गया "।हम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई उपरोक्त उद्देश्यपूर्ण व्याख्या से पूरी तरह सहमत हैं।

27. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागों की स्थापना का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक विवादों में शामिल मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और उचित कीमत पर निपटारा किया जाए।

एच.

633

अम्बालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम.

के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी और एएनआर। [आर. भानुमति, जे.]

वादियों।वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना के उद्देश्य और उद्देश्य और अधिनियम के तहत प्रदान की गई त्वरित निगरानी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और उन पर शामिल शब्दों को वाणिज्यिक मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए सार्थक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि वादियों को लाभ हो सके, विशेष रूप से वे जो व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं, जो बदले में देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे।उपरोक्त तर्कों पर, मैं अपने सम्मानित भाई न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हूं।

निधि जैन

याचिका खारिज की जाती है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.